बिहार सकरार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०2/04-03/2012 /1433 पटना, दिनांक- 18.9.14

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

फैक्स/ईमेल संवाद

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी (बांका, शिवहर, बेगुसराय, वैशाली, शेखपुरा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, सहरसा एवं जहानाबाद को छोड़कर)।

विषय:- **बिहार सरकार के विनियोग लेखे 2011-12 का प्रारूप अनुदान/ विनियोग संख्या-35 मुख्य शीर्ष-3454 के अन्तर्गत हुए अधिकाय व्यय के प्रेषण के संबंध में।**

प्रसंग:- निदेशालय के पत्रांक-130 दिनांक 31.01.14, पत्रांक-213 दिनांक 18.02.14, पत्रांक-608 दिनांक 24.04.14, पत्रांक-849 दिनांक 20.06.14 एवं पत्रांक-941 दिनांक 07.07.14

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का स्मरण किया जाय। बिहार सरकार के विनियोग लेखे 2011-12 का प्रारूप अनुदान/विनियोग संख्या-35, मुख्य शीर्ष-3454 के अन्तर्गत उप शीर्ष-0605- लघु सिंचाई परियोजनाओं अन्तर्गत न्यादर्श सर्वेक्षण शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2011-12 में मानदेय भुगतान हेतु आवंटित राशि के विरूद्ध आपसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्यापर्ण/व्यय प्रतिवेदन वित्त विभाग को भेजा गया है। उक्त प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन के आधार पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा कुल 80,800/- रूपये अधिकाय व्यय प्रतिवेदन किया गया है। वित्त विभाग के द्वारा अधिकाय व्यय की नियमित समीक्षा की जा रही है।

अत: निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 3 (तीन) दिनों के अन्दर प्रतिवेदन विशेष दूत द्वारा भेजना सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जायेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

18/9/14

सचिव

Raju/Est-2/Binod/03